

धारा XVII : बोली खोलने में भाग लेने के लिए प्राधिकार पत्र

(जीआईटी का खंड 24.2 देखें)

(पीएम/एसबीडी/ 007)

महाप्रबंधक

यूनिट का पता

विषय: निविदा _____ (दिनांक) _____ को बोली खोलने में भाग लेने के लिए प्राधिकरण _____

ऊपर उल्लेख की गई निविदा के लिए निम्नलिखित व्यक्ति नीचे दी गई वरीयता के क्रम में बोली के उद्घाटन में भाग लेने के लिए (बोलीदाता) की ओर से अधिकृत _____ किए जाते हैं:

वरीयता क्रम में आदेश	नाम	नमूना हस्ताक्षर
I.		
II.		
वैकल्पिक प्रतिनिधि		
बोलीदाता के हस्ताक्षर या अधिकारी बोलीदाता की ओर से बोली दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत		

नोट :

1. अधिकतम दो प्रतिनिधियों को बोली खोलने में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामलों में जहां यह एक ही करने के लिए प्रतिबंधित है, पहली वरीयता को अनुमति दी जाएगी। जब नियमित प्रतिनिधि भाग लेने में सक्षम नहीं हैं तो वैकल्पिक प्रतिनिधि को अनुमति दी जाएगी।

2. सभा भवन, जहां बोलियों को खोला जाता है में प्रवेश के लिए अनुमति की मनाही कर दी जाएगी, यदि ऊपर निर्धारित प्राधिकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है।